

## प्राधिकृत अधिकारी जोन-15

### जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 02 वर्ष 2016

मैसर्स गोकुल कृष्ण कॉलोनाइजर्स एण्ड ड्वलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर, श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री छोटीलाल नाहटा, श्री विकास पुत्र श्री सुरेन्द्र नाहटा, श्री शरद पुत्र श्री जीतेन्द्र नाहटा जाति महाजन, 177, एम.जी.रोड, कोलकाता, श्री चौथूराम पुत्र बालू श्री रामलाल पुत्र बालू श्री सरदार, प्रधान, मुकेश पुत्रान स्व. श्री छीतर तथा प्रेम देवी पत्नी स्व. छीतर जाति जाट सा.देह।

**विषय:-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

#### आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	आवेदक खातेदार का नाम	क्षेत्र
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	सारंगपुरा	ख.नं. 256 रकबा 0.43 हैक्ट. ख.नं. 257 रकबा 1.75 हैक्ट. ख.नं. 258 रकबा 0.68 हैक्ट. ख.नं. 260 रकबा 1.18 हैक्ट. ख.नं. 261 रकबा 0.72 हैक्ट. ख.नं. 262 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 263 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 304 रकबा 0.98 हैक्ट. ख.नं. 305 रकबा 0.80 हैक्ट. ख.नं. 306 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 307 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 336 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 337 रकबा 0.17 हैक्ट. किता 13 रकबा 7.42 हैक्ट.	गोकुल कृष्ण कॉलोनाइजर्स एण्ड ड्वलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर	कुल किता 19 कुल रकबा 10 हैक्ट.
	रामचन्द्रपुरा	ख.नं. 308/1 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 309 रकबा 0.68 हैक्ट. ख.नं. 310/1 रकबा 1.37 हैक्ट. ख.नं. 320/1 रकबा 0.15 हैक्ट. किता 4 रकबा 2.52 हैक्ट.	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री छोटीलाल नाहटा, श्री विकास पुत्र श्री सुरेन्द्र नाहटा, श्री शरद पुत्र श्री जीतेन्द्र नाहटा, जाति महाजन, 177, एम.जी.रोड, कोलकाता	
	रामचन्द्रपुरा	ख.नं. 307 रकबा कुल रकबा 0.49 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. ख.नं. 308 रकबा 0.04 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.06 हैक्ट.	श्री चौथूराम पुत्र बालू श्री रामलाल पुत्र बालू श्री सरदार, प्रधान, मुकेश पुत्रान स्व. श्री छीतर तथा प्रेम देवी पत्नी स्व. छीतर जाति जाट सा.देह	


- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के और राजस्थान अभिधृत अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृत अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 256 रकबा 0.43 हैक्ट. ख.नं. 257 रकबा 1.75 हैक्ट. ख.नं. 258 रकबा 0.68 हैक्ट. ख.नं. 260 रकबा 1.18 हैक्ट. ख.नं. 261 रकबा 0.72 हैक्ट. ख.नं. 262 रकबा 0.10 हैक्ट.



ख.नं. 263 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 304 रकबा 0.98 हैक्ट. ख.नं. 305 रकबा 0.80 हैक्ट. ख.नं. 306 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 307 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 336 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 337 रकबा 0.17 हैक्ट. किता 13 रकबा 7.42 हैक्ट. गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 308/1 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 309 रकबा 0.68 हैक्ट. ख.नं. 310/1 रकबा 1.37 हैक्ट. ख.नं. 320/1 रकबा 0.15 हैक्ट. किता 4 रकबा 2.52 हैक्ट. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री छोटीलाल नाहटा, श्री विकास पुत्र श्री सुरेन्द्र नाहटा, श्री शरद पुत्र श्री जीतेन्द्र नाहटा, जाति महाजन, 177, एम.जी.रोड, कोलकाता व ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 307 रकबा कुल रकबा 0.49 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. ख.नं. 308 रकबा 0.04 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.06 हैक्ट. श्री चौथूराम पुत्र बालू श्री रामलाल पुत्र बालू श्री सरदार, प्रधान, मुकेश पुत्रान स्व. श्री छीतर तथा प्रेम देवी पत्नी स्व. छीतर जाति जाट सा.देह की भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदकगण द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

- (5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुसोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21/4/16 को पारित किया गया।



सं. DC/15/D/ 14/4/16

*21/4/16*  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-15  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
दिनांक 22-4-16

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वकृत भूमि को स्थानीय प्राधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर, श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री छोटीलाल नाहटा, श्री विकास पुत्र श्री सुरेन्द्र नाहटा, श्री शरद पुत्र श्री जीतेन्द्र नाहटा जाति महाजन, 177, एम.जी.रोड, कोलकाता, श्री चौथूराम पुत्र बालू, श्री रामलाल पुत्र बालू, श्री सरदार, प्रधान, मुकेश पुत्रान स्व. श्री छीतर तथा प्रेम देवी पत्नी स्व. छीतर जाति जाट सा.देह।

*21/4/16*  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-15  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर